राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-७२१९/२००६

रामजीवन,रामनिवास,श्रीमती राजा

सुप्यार व हनुमान बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:२०.११.२००६

माननीय न्यायाधिपति श्री जितेन्द्र राय गोयल

श्री वीरेन्द्र गोदारा, अधिवक्ता अभियुक्त- प्रार्थीगण की ओर से

श्री आर पी कुलदीप, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त-प्रार्थीगण द्वारा यह अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रथम सूचना संख्या-२९७/२००६ पुलिस थाना- फागी, जयपुर अपराध अन्तर्गत धारा- १४३,४४७,३७९ भा.दं.सं.के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।

इस पर अभियुक्त- प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक की बहस सुनी गयी तथा दौरान बहस प्रस्तुत दस्तावेज / केस डायरी का अवलोकन किया गया।

यह,परिवादिया की जमींन पर से जबरन फसल को काटकर ले जाने का मामला है।

गुणावगुण पर विशेष विवेचन न करते हुए, अपराध की प्रकृति व अभियुक्तगण रामजीवन, रामनिवास व हनुमान की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेरी राय में प्रार्थीगण रामजीवन, रामनिवास व हनुमान को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अत: अभियुक्त- प्रार्थीगण रामजीवन, रामनिवास व हनुमान का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

जहां तक अभियुक्ता-प्रार्थीगण श्रीमती राजा व सुप्यार का प्रश्न है, ये दोनों महिलाएं हैं। उनके सम्बन्ध में इस प्रक्रम पर इस मामले के गुणावगुण पर विशेष विवेचन किया जाना उपयुक्त नहीं है किन्तु अपराध की प्रकृति व अभियुक्तागण की इस अपराध में बतायी गयी लिप्तता व प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए

मेरी राय में अभियुक्तागण श्रीमती राजा व सुप्यार को धारा ४३८ दण्ड प्रक्रिया संहिता का लाभ दिया जाकर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: अभियुक्ता- प्रार्थीगण श्रीमती राजा व सुप्यार का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण-१. श्रीमति राजा पत्नी राम निवास व सुप्यार पत्नी राम जीवन निवासीगण- मोहनपुरा रणंवा तहसील- फागी, जिला- जयपुर को पुलिस थाना- फागी, जयपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- २९७/२००६ में गिरफ्तार किया जावे तो उन्हें अन्वेषण अधिकारी/ गिरफ्तारी अधिकारी/ एस.एच.ओ. की सन्तुष्टि पर प्रत्येक प्रार्थिया द्वारा रूपये **१०,०००/- -- १०,०००/-(दस-दस हजार रूपये मात्र)** के स्वयं के व्यक्तिगत बन्ध पत्र व रूपये **५,०००/- -- ५,०००/- (पांच-पांच हजार रूपये मात्र)** की दो- दो प्रतिभूति पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे:

१. यह कि प्रार्थीगण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों के उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगी।
२. यह कि प्रार्थीगण इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगी।
३. यह कि प्रार्थीगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगी।
४. यह कि प्रार्थीगण भविष्य में इस तरह की प्रकृति के अपराध में लिप्त नहीं होंगी।

(न्या० जितेन्द्र राय गोयल)